

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग**

क्रमांक : प. 1(276)एमई/गुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 05.12.2017

**आदेश**

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन के पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-3, 15600-39100 (ग्रेड पे रु. 6600/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 14(1)एफडी/रूल्स/2013पार्ट दिनांक 08-06-2015 के अनुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 03-7-2014 के अन्तर्गत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० अचिन यादव पत्नी श्री सौरभ कालिया, 3/25 मालवीय नगर, जयपुर-302017	एम-05	10.05.1980	सामान्य महिला	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
2.	डॉ० अनिल सांखला पुत्र श्री आसकरण सांखला एफ-60, प्रतापनगर, अम्बेडकर पार्क के पास, जोधपुर।	एम-11	14.10.1981	अजा.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
3.	डॉ० वीरम परमार पुत्र श्री सुबाराम, 163ए बालाजी मार्ग, रामनगर, पी.एफ ऑफिस के पास, ओल्ड इंवर रोड, जोधपुर-342008	एम-18	11.07.1985	अजा.	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
4.	डॉ० सत्येन्द्र खीचड़ पुत्र श्री गिगराज खीचड़ 5-रामनगर, वकीलो के हत्थे के पास, आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, बी.जे.एस. कॉलोनी जोधपुर (राज.)-342010	एम-21	28.09.1983	पिछड़ा वर्ग	मेडिकल कॉलेज कोटा
5.	डॉ० नितेश कुमार पुत्र श्री हरिनारायण कोली डी-82 नन्दा जी की बाड़ी, सुभाष कॉलोनी खेडली फाटक, कोटा (राज.)324001	एम-26	22.08.1989	अजा.	मेडिकल कॉलेज, कोटा

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।

आदेश से,

  
(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(28)भर्ती / गोपनीय / 2014-15 / 296 दिनांक 07.09.2017 एवं एफ 7(28)भर्ती "ख" / 2014-15 / 468 दिनांक 10.10.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव